न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 39 / 2023	2023 / 336	26.07.2023	22.01.2025

1. गोमा पुत्री मुंशी जाति कंजर निवासी ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार उप—तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज0।

—रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.12.2004 इंतकाल संख्या 419 ग्राम वाके ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री पुनीत भारद्वाज —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीना — राजकीय अभिभाषक

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 419 निर्णय दि0 24.12.2004 वाके ग्राम जाहरखेड़ा तहसील व जिला अलवर के द्वारा अपीलाण्ट का नाम गलत अंकित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलाधीन आज्ञा नायब तहसीलदार, सब—तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० द्वारा पारित की गई है, जिससे अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। रेस्पाडेन्ट नायब तहसीलदार सबतहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० द्वारा इंतकाल संख्या 419 दिनांक 24—12—2004 वाके ग्राम जाहरखेडा तहसील व जिला अलवर मिठू पुत्र उमराव का स्वीकार किया गया है। जिसमें मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर रोमा पुत्री मुन्शी स्वीकार किया गया है। जो कि मिन अपीलान्ट के पीछे से स्वीकार किया गया है। चूँकि मिन अपीलान्टा ग्रामीण महिला है। इसलिए उक्त इंतकाल की जानकारी मिन अपीलान्ट को नही हो सकी तथा उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 09—02—2022 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने इंतकालाधीन आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 10—02—2022 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से मिन अपीलान्टा का नाम गलत दर्ज होने का पता चला। जिसके पश्चात मिन अपीलान्ट ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने तुरन्त यह अपील पेश करने की हिदायत दी जिससे यह अपील जानकारी की तारीख दिनांक 10—02—2022 से अविलम्ब पेश की जा रही है जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। इंतकालाधीन आराजी मिठू पुत्र उमराव की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनकी विरासत का उक्त इंतकाल संख्या 419 दिनांक 24—12—2004 उसके वारिसान के नाम स्वीकार किया गया है। जिस इंतकाल में मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर रोमा पुत्री मुन्शी दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है। मिन अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी है तथा यही नाम मिन अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजात दस्तावेजात में दर्ज है। रोमा पुत्री मुन्शी नाम की कोई महिला मिठू के वारिस नहीं है। उक्त इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व मिन अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया है तथा ना ही कोई दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी। उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

इंतकाल में मिन अपीलान्ट का गलत नाम रोमा पुत्री मुन्शी दर्ज होने से मिन अपीलान्ट के हक हकूक जायल होने अंदेशा है तथा उक्त इंतकाल का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि में किया गया है जिसमें भी मिन अपीलान्ट का नाम मुताबिक इंतकाल रोमा पुत्री मुन्शी दर्ज है। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट ना तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा पा रही है और ना ही सरकार की किसी योजना का लाभ ले पा रही है। इसलिए उपरोक्त इंतकाल में मिन अपीलान्ट का नाम रोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर गोमा पुत्री मुन्शी दुरुस्त किया जाकर दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाया जाकर नायब तहसीलदार सब–तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० की आज्ञा दिनांक 24–12–2004 बाबत इंतकाल संख्या 419 वाके जाहरखेडा तहसील व जिला अलवर को निरस्त कर उक्त विरासत इंतकाल में मिन अपीलान्ट का गलत नाम रोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर सही व वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी संशोधित कराया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 419 वाके ग्राम जाहरखेडा तहसील व जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट का नाम गोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर सहवन से रोमा पुत्री मुन्शी किया गया है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2004 के विरूद्व दिनांक 17.02.2022 को पेश की गयी है जो करीब 17 साल 01 माह 24 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार बहादरपुर द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 419 दिनांक 24.12.2004 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट का आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी अंकित है। रोमा व गोमा एक ही व्यक्ति/महिला के नाम हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलाण्ट के वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी की सही जांच किये बिना नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अपीलान्ट का नाम रोमा पुत्री मुन्शी के स्थान पर गोमा पुत्री मुन्शी दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश इन्तकाल सं0 419 दिनांक 24.12.2004 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण में अपीलाण्ट का वास्तविक नाम गोमा पुत्री मुन्शी नियमानुसार इन्द्राज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)